OFFICE OF THE DIRECTOR SECONDARY EDUCATION HARYANA, PANCHKULA

ORDER NO. 17/53-2025 HRME-II (5) DATED, PANCHKULA, THE 15.05.2025

Permission is hereby granted to **Smt. Rajni, Accountant, GGMSSSS Khanpur Ghati [28388] Nagina (Nuh)** to change of option from fixed medical allowance to open medical allowance **w.e.f. 01.01.2025** subject to the following condition:-

1. That he will not be entitled to Fix medical bill w.e.f. 01.01.2025 after the date of change of option.
2. The medical certificate will be reviewed after a period of five years.

JITENDER KUMAR, IAS
DIRECTOR SECONDARY EDUCATION,
HARYANA, PANCHKULA

ENDST.NO. EVEN **DATED, PANCHKULA, THE** 22.05.2025

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. District Education Officer, Nuh w.r.t. their letter No E-2-2025/1371-72 dated 11.04.2025 alongwith original chronic disease certificate.
2. Principal, GGMSSSS Khanpur Ghati [28388] Nagina (Nuh).
3. Smt. Rajni, Accountant, GGMSSSS Khanpur Ghati [28388] Nagina (Nuh).
4. IT Cell.

DY. SUPERINTENDENT HRME-II
for DIRECTOR SECONDARY EDUCATION
HARYANA, PANCHKULA

E:\Medical ACP and CCL\option change sanction.docx

प्रेषकः

निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा,
हरियाणा, पंचकूला

सेवा में

राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारी
राज्य के सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी

यादि क्रमांक 1/112-2024 eGov./IT Cell
दिनांक, पंचकूला 23.05.2025

विषयः सभी कर्मचारियों का डाटा एम0आई0एस0 पोर्टल पर अपडेट करवाने बारे।

****

उपरोक्त विषय पर विभाग के आदेश दिनांक 17.04.2025 की निरन्तरता में।

आपको विभाग द्वारा प्रत्येक कर्मचारी की सही व पूर्ण जानकारी एम0आई0एस0 पोर्टल पर अपडेट करने हेतु लिखा गया था। इसके सम्बन्ध में personal profile बारे सही व पूर्ण जानकारी सुनिश्चित करना प्रत्येक कर्मचारी की अपनी जिम्मेवारी है, और सभी कर्मचारियों का वर्तमान कार्यस्थल व पदनाम से सम्बन्धित सही जानकारी एम0आई0एस0 पोर्टल पर सुनिश्चित करना सभी डी0डी0ओ0 द्वारा सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है। परन्तु अभी भी बहुत से कर्मचारियों का वर्तमान कार्यस्थल व पदनाम सम्बन्धित डाटा एम0आई0एस0 पोर्टल पर गलत है जोकि रिक्ती सूची को भी प्रभावित करता है।

इसलिए सभी कर्मचारियों का वर्तमान कार्यस्थल व पदनाम सम्बन्धित डाटा के सत्यापन हेतु एम0आई0एस0 पोर्टल पर सभी विद्यालयों/कार्यालयों के एम0आई0एस0 लॉगिन में जरूरी प्रावधान "School Employee working status Module" के अर्न्तगत दिया गया है। जिसके तहत सभी विद्यालय/कार्यालय के डी0डी0ओ0 को उनके अर्न्तगत कार्यरत सभी कर्मचारियों के लिए **"Yes"** विकल्प का चयन करके सत्यापन करना होगा। यदि कोई कर्मचारी उनके कार्यालय में कार्यरत नहीं है परन्तु सूची में दिखाए जा रहे है उनके लिए **"No"** विकल्प का चयन करते हुए सही कारण जैसे Joined on other post of this Department, Joined in other Department, Never Reported in School for Joining आदि भी बताना है। इसके लिए सभी मुखिया की सहायता हेतु User Manual भी इस पत्र के साथ संलग्न है।

अतः आप सभी से अनुरोध है कि आपके जिले में कार्यरत सभी डी0डी0ओ0 को जरूरी दिशा निर्देश जारी करते हुए इस कार्य को दिनांक 26.05.2025 तक पूर्ण करवाना सुनिश्चित करें। यह भी सुनिश्चित करें कि सत्यापन प्रक्रिया सही तथ्यों पर आधारित हों तथा किसी प्रकार की गलती या लापरवाही के लिए आप व सम्बंधित डी0डी0ओ0 स्वयं जिम्मेवार होंगे।

23/5/25
अधीक्षक (आई0टी0)
कृतेः निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा,
हरियाणा, पंचकूला।

पृष्ठाकन क्रमांक– 1/112–2024 eGov./IT Cell दिनांक, पंचकुला 23.05.2025

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रस्तुत हैः

1. पी0ए0/ महानिदेशक मौलिक शिक्षा।
2. पी0एस0/ निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा।

23/5/25
अधीक्षक (आई0टी0)
कृतेः निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा,
हरियाणा, पंचकूला।

GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार
Directorate School Education
विद्यालय शिक्षा निदेशालय
शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and Development
School Education, Haryana
विद्यालय शिक्षा, हरियाणा
तमसो मा ज्योतिर्गमय
Lead me from Darkness to Light
www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com
Off.: Shiksha Sadan, Sector 5, Panchkula, Haryana 134109 (India) - Tel: 91(0172)-2560246 Fax: 91(0172)-2560253
कार्यालय: शिक्षा सदन, सैक्टर 5 पंचकुला–134109 (भारत) दूरभाष : 91 (0172) 2560246 फैक्स: 91 (0172) 2560253

To be substituted bearing the same number and date

Order No. 5/17-2022 HRME-I (6)

Dated, Chandigarh 21.05.2025

The suspension period from 15.03.2022 to 21.10.2022 in respect of Sh. Chander Shekhar, Clerk (retd.), GHS Bal Ashram, Jind is hereby treated as on duty period for all intents and purposes as per Rule 89 of HCS (General) Rule, 2016.

AMIT KUMAR
ADDITIONAL DIRECTOR (ADMN.)
O/o DIRECTOR SECONDARY EDUCATION,
HARYANA, PANCHKULA

Endst. No. Even

Dated, Panchkula the 22/5/2025

A copy is forwarded to the following for information and necessary action.

1. Accountant General (A&E), Haryana, Chandigarh.
2. The District Education Officer, Jind.
3. Block Education Officer, Narwana.
4. Treasury Officer concerned.
5. Headmaster, GHS Bal Ashram, Jind
6. Sh. Chander Shekhar [099249], Clerk (retd.), GHS Bal Ashram, Jind.
7. I.T. Cell

DY. SUPERINTENDENT HRME-I
for DIRECTOR SECONDARY EDUCATION
HARYANA, PANCHKULA.

OFFICE OF THE DIRECTOR SECONDARY EDUCATION
HARYANA, PANCHKULA

Order No.17/79-2024 HRME-I (4) **Dated Panchkula 23.05.2025**

Sanction is accorded to the re-imbursement of Medical Charges amounting to **Rs. 4,38,458/- (Rs. Four Lakh Thirty Eight Thousand Four Hundred Fifty Eight Only) in favour of Medanta The Medicity (Global Health LTD) Sector 38, Gurugram (Approved)** in connection with the treatment of Sh. Nand Lal Luthra, Retd. Assistant O/o BEO Hansi, Hisar for the period 01.03.2025 under cashless medical policy.

1. The re-imbursement of Medical Charges has been sanctioned under the Punjab/Haryana Services (Medical Attendants) Rules, 1940.
2. It has been certified by the authorized Medical Attendant that the Medicines prescribed by them was absolutely essential for treatment and recovery of the patient and that no cheaper substitute was possible.
3. The Head of Account to which the expenditure is debitable may be intimated direct to the Accountant General (Accounts) Haryana, Chandigarh.

JITENDER KUMAR, IAS
DIRECTOR SECONDARY EDUCATION
HARYANA, PANCHKULA

Endst No. 17/79-2024 HRME-I (4) **Dated, Panchkula, the:-** 23-5-2025

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

REGD.

1. The Accountant General (A&E) Haryana, Chandigarh.
2. Treasury Officer, Concerned.
3. Medanta The Medicity (Global Health LTD) Sector 38, Gurugram.
4. District Education Officer, Hisar with reference to his memo No. A-II/2025/7306 dated 28.04.2025 with original bill and voucher.
5. Superintendent Budget Branch (Local) (Elementary Education).
6. Sh. Nand Lal Luthra, Retd. Assistant O/o BEO Hansi, Hisar.
7. IT Cell.

DEPUTY SUPERINTENDENT HRME-I
FOR DIRECTOR SECONDARY EDUCATION,
HARYANA, PANCHKULA

Directorate of School Education / विद्यालय शिक्षा निदेशालय

GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education
विद्यालय शिक्षा निदेशालय

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and Development
School Education, Haryana
विद्यालय शिक्षा, हरियाणा
तमसो मा ज्योतिर्गमय
Lead me from Darkness to Light

www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

ORDER

No. 4/63-2025 HRME-II (5) **Dated, Panchkula, the 20.05.2025**

In pursuance of the Government notification No. 15/01/2024-4HR-1 dated 26.01.2024, the following Class-IV (Group-D) employee is hereby deputed for one year against vacancy with immediate effect:-

S/N.	Name Sh/ Smt., Designation	Present Place of Posting	Transfer/Adjusted	Remarks
1.	Suman Devi Class-IV [5015590]	GGSSS Fatehpur (2256) Distt. Kaithal	GSSS Jyotisar (2402) Distt. Kurukshetra	**Deputation A/V for one year**

Terms & Conditions:-

1. However, if any official is working in Census duty, he/she shall not be relieved till the Census duty is accomplished.
2. No TA/DA and joining time will be admissible to the official if he/she has been shifted on his/her request after exercising option.
3. Concerned DDO is also requested to update and approved MIS data of the official at your own level & the MIS updating of the official not be updated as transfer, it should be as deputation.
4. It is his/her responsibility to report on his actual posting station on completion of deputation period.
5. The salary of the officials be drawn from his actual posting station.

AMIT KUMAR, HCS,
ADDITIONAL DIRECTOR ADMN-I
O/o DIRECTOR SECONDARY EDUCATION
HARYANA, PANCHKULA

Endst. No. 4/63-2025 HRME-II (5) **Dated Panchkula, the:- 22.05.2025**

A copy of the above is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. Accountant General (A&E), Haryana, Chandigarh.
2. PS/EM.
3. PA/OSDCM w.r.t. their dispatch No. 26615 dated 09.05.2025.
4. District Education Officer concerned would be ensure to follow that the deputation order will be compliance as it is.
5. Concerned Institution.
6. Official concerned.
7. Separate copy for Data Entry Operator for MIS to update the data of the concerned official.
8. IT Cell.

DY. SUPERINTENDENT HRME-II
for DIRECTOR SECONDARY EDUCATION
HARYANA, PANCHKULA

Off.: Plot No. 1B, Shiksha Sadan, Sector 5, Panchkula, Haryana 134109 (India) - Tel: 91(0172)-2560246 Fax: 91(0172)-2560253
कार्यालय: प्लाट न0 1बी, शिक्षा सदन, सैक्टर 5 पंचकुला–134109 (भारत) दूरभाष : 91 (0172) 2560246 फैक्स: 91 (0172) 2560253

GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार
Directorate School Education
विद्यालय शिक्षा निदेशालय
www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

ORDER

No. 4/64-2025 HRME-II (5) **Dated, Panchkula, the 22.05.2025**

In pursuance of the Government notification No. 15/01/2024-4HR-1 dated 26.01.2024, the following Class-IV (Group-D) employee is hereby deputed for one year against vacancy with immediate effect:-

S/N.	Name Sh/ Smt., Designation	Present Place of Posting	Transfer/Adjusted	Remarks
1.	Santosh Kumari Class-IV [5015257]	GSSS Chuli Bagriyan (1201) Distt. Hisar	GHS Surehli (2622) Distt. Rewari	**Deputation A/V for one year**

Terms & Conditions:-

1. However, if any official is working in Census duty, he/she shall not be relieved till the Census duty is accomplished.
2. No TA/DA and joining time will be admissible to the official if he/she has been shifted on his/her request after exercising option.
3. Concerned DDO is also requested to update and approved MIS data of the official at your own level & the MIS updating of the official not be updated as transfer, it should be as deputation.
4. It is his/her responsibility to report on his actual posting station on completion of deputation period.
5. The salary of the officials be drawn from his actual posting station.

AMIT KUMAR, HCS,
ADDITIONAL DIRECTOR ADMN-I
O/o DIRECTOR SECONDARY EDUCATION
HARYANA, PANCHKULA

Endst. No. 4/64-2025 HRME-II (5) **Dated Panchkula, the:- 22.05.2025**

A copy of the above is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. Accountant General (A&E), Haryana, Chandigarh.
2. PS/EM.
3. PA/OSDCM w.r.t. their dispatch No. 27017 dated 12.05.2025.
4. District Education Officer concerned would be ensure to follow that the deputation order will be compliance as it is.
5. Concerned Institution.
6. Official concerned.
7. Separate copy for Data Entry Operator for MIS to update the data of the concerned official.
8. IT Cell.

DY. SUPERINTENDENT HRME-II
for DIRECTOR SECONDARY EDUCATION
HARYANA, PANCHKULA

GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार
Directorate School Education
विद्यालय शिक्षा निदेशालय

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and Development
School Education, Haryana
विद्यालय शिक्षा, हरियाणा
तमसो मा ज्योतिर्गमय
Lead me from Darkness to Light

www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

ORDER

No. 4/113-2023 HRME-II (5) **Dated, Panchkula, the 20.05.2025**

In pursuance of the Government notification No. 15/01/2024-4HR-1 dated 26.01.2024, the following Class-IV (Group-D) employee is hereby deputed for one year against vacancy with immediate effect:-

S/N.	Name Sh/ Smt., Designation	Present Place of Posting	Transfer/Adjusted	Remarks
1.	Pappu Class-IV [5024384]	GSSS Biwan [819] Nuh Mewat	GMS Chainpuri [30073] Nuh Mewat	**Deputation A/V for one year**

Terms & Conditions:-

1. However, if any official is working in Census duty, he/she shall not be relieved till the Census duty is accomplished.
2. No TA/DA and joining time will be admissible to the official if he/she has been shifted on his/her request after exercising option.
3. Concerned DDO is also requested to update and approved MIS data of the official at your own level & the MIS updating of the official not be updated as transfer, it should be as deputation.
4. It is his/her responsibility to report on his actual posting station on completion of deputation period.
5. The salary of the officials be drawn from his actual posting station.

AMIT KUMAR, HCS,
ADDITIONAL DIRECTOR ADMN-I
O/o DIRECTOR SECONDARY EDUCATION
HARYANA, PANCHKULA

Endst. No. 4/113-2023 HRME-II (5) **Dated Panchkula, the:- 22.05.2025**

A copy of the above is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. Accountant General (A&E), Haryana, Chandigarh.
2. PS/EM.
3. PA/OSDCM w.r.t. their note No. 17377 dated 27.03.2025 and email dated 11.04.2025.
4. District Education Officer concerned would be ensure to follow that the deputation order will be compliance as it is.
5. Concerned Institution.
6. Official concerned.
7. Separate copy for Data Entry Operator for MIS to update the data of the concerned official.
8. IT Cell.

DY. SUPERINTENDENT HRME-II
for DIRECTOR SECONDARY EDUCATION
HARYANA, PANCHKULA

GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार
Directorate School Education
विद्यालय शिक्षा निदेशालय
www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and Development
School Education, Haryana
विद्यालय शिक्षा, हरियाणा
तमसो मा ज्योतिर्गमय
Lead me from Darkness to Light

ORDER

No. 4/54-2025 HRME-II (5) **Dated, Panchkula, the 15.05.2025**

In pursuance of the Government notification No. 15/01/2024-4HR-1 dated 26.01.2024, the following Class-IV (Group-D) employee is hereby deputed for one year against vacancy with immediate effect:-

S/N.	Name Sh/ Smt., Designation	Present Place of Posting	Transfer/Adjusted	Remarks
1.	Sunita Class-IV [098656]	GSSS Chang (0627) Distt. Bhiwani	Veer Shaheed Shri Gulab Singh PM Shri GGSSS Bawani Khera (322) Bhiwani	**Deputation A/V for one year**

Terms & Conditions:-

1. However, if any official is working in Census duty, he/she shall not be relieved till the Census duty is accomplished.
2. No TA/DA and joining time will be admissible to the official if he/she has been shifted on his/her request after exercising option.
3. Concerned DDO is also requested to update and approved MIS data of the official at your own level & the MIS updating of the official not be updated as transfer, it should be as deputation.
4. It is his/her responsibility to report on his actual posting station on completion of deputation period.
5. The salary of the officials be drawn from his actual posting station.

AMIT KUMAR, HCS,
ADDITIONAL DIRECTOR ADMN-I
O/o DIRECTOR SECONDARY EDUCATION
HARYANA, PANCHKULA

Endst. No. 4/54-2025 HRME-II (5) **Dated Panchkula, the:- 21.05.2025**

A copy of the above is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. Accountant General (A&E), Haryana, Chandigarh.
2. PS/EM.
3. PA/OSDCM w.r.t. their dispatch No. 22082 dated 21.04.2025.
4. District Education Officer concerned would be ensure to follow that the deputation order will be compliance as it is.
5. Concerned Institution.
6. Official concerned.
7. Separate copy for Data Entry Operator for MIS to update the data of the concerned official.
8. IT Cell.

DY. SUPERINTENDENT HRME-II
for DIRECTOR SECONDARY EDUCATION
HARYANA, PANCHKULA

From

The Director
Secondary Education, Haryana,
Shiksha Sadan, Sector-5, Panchkula

To

District Education Officer,
Jhajjar

Memo No. 14/48-2025 PGT-IV (2)
Dated, Panchkula

Subject:- **Permission for going abroad of Smt. Neeraj Saroha, PGT Biology, Government Girls Senior Secondary School, Dighal (3231), District Jhajjar.**

Kindly refer to your letter No. E-2/2025/2074 dated 02.05.2025 on the subject cited above.

The permission is hereby accorded to **Smt. Neeraj Saroha, PGT Biology, Government Girls Senior Secondary School, Dighal (3231), District Jhajjar to visit in Canada from 02.06.2025 to 29.06.2025 (28 days)** on personal visit on the following conditions:-

1. *He/She will not proceed on leave before getting the leave sanctioned.*
2. *Before proceeding, he/she shall hand over the complete charges.*
3. *He/She will not request to extend the leave from abroad.*
4. *He/She will not accept any service in Government/Non-Government sector*
5. *He/She bears all expendtures himself/herself and the Government will not bear any expenditure for his/her travelling.*
6. *There shall be no negative impact on the security of the country.*
7. *He/She will be loyal to the constitution of India and obey all rules and instructions.*
8. *It has been decided vide order No. 1/3-2018 Admn. (I) dated 11.02.2020, if any employee applies for more than two months permission, their posts will be treated as vacant and they will participate in Transfer drive for their adjustment.*

Sd/-
Dy. Superintendent PGT-IV
for Director Secondary Education
Haryana, Panchkula

Endst No. Even **Dated Panchkula the** 23/5/25

A copy of the above is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. Principal, Government Girls Senior Secondary School, Dighal (3231), District Jhajjar.
2. Smt. Neeraj Saroha, PGT Biology, Government Girls Senior Secondary School, Dighal (3231), District Jhajjar.
3. IT Cell.

23/5/2025
Dy. Superintendent PGT-IV
for Director Secondary Education
Haryana, Panchkula

आदेश क्रमांक 5/16-2023 HRME-II (5) दिनांक, पंचकुला :– 15·05·2025

1. इसके द्वारा **श्री सतीश चौहान, उप–अधीक्षक, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी नूँह अब अधीक्षक** को सूचित किया जाता है कि संलग्न विवरण में दिये गये आरोपों के आधार पर हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियमावली, 2016 के नियम–7 के अन्तर्गत उनके विरूद्ध कार्यवाही करना प्रस्तावित किया गया है। ये आरोप उससे अनुबद्ध अभिकथनों के विवरण पर आधारित है।
2. इसके द्वारा **श्री सतीश चौहान, उप–अधीक्षक** से उनके द्वारा इस ज्ञापन की प्राप्ति की तिथि से **45 दिन** की अवधि के भीतर लिखित रूप में बताने की अपेक्षा की जाती है कि वे सभी आरोपों या उनमें से किसी को स्वीकार करते हैं या नहीं। क्या उन्हे स्पष्टीकरण या प्रतिवेदन, यदि कोई हो, प्रस्तुत करना है और क्या वे व्यक्तिगत रूप में अपनी सुनवाई चाहते हैं।
3. इसके द्वारा **श्री सतीश चौहान, उप–अधीक्षक** को आगे सूचित किया जाता हैं कि यदि वे अपने लिखित कथन को तैयार करने के प्रयोजन के लिए सुसंगत सरकारी अभिलेखों को देखना चाहते है तो उन्हें निदेशक विद्यालय शिक्षा हरियाणा, पंचकुला के कार्यालय में उनके साथ पहले समय नियत करने के बाद, किसी कार्य दिवस को, उनका निरीक्षण कर सकते है। फिर भी यह बताया जाता है कि उन्हें केवल ऐसे ही दस्तावेज दिखाये जायेंगे, जोकि निदेशक विद्यालय, शिक्षा हरियाणा, पंचकुला के पास हैं और जो मामले के साथ पूरी तरह से सुसंगत हैं। यदि सरकार की राय में उन्हें किन्ही दस्तावेजों को दिखाने की अनुमति देना वांछनीय नहीं है तो उन्हें यह दस्तावेज दिखाने से इन्कार कर दिया जायेगा। यदि **श्री सतीश चौहान, उप–अधीक्षक** ऐसे किसी अन्य सुसंगत अभिलेख को देखना चाहते है जो निदेशक विद्यालय शिक्षा हरियाणा, पंचकुला की अभिरक्षा में नहीं है तो उनका निरीक्षण करने की जिम्मेवारी उनकी अपनी होगी। फिर भी **श्री सतीश चौहान, उप–अधीक्षक** को यह बात स्पष्ट की जाती है कि उनके द्वारा उक्त दस्तावेज का निरीक्षण न किया जा सकना उनके लिखित कथन को भेजने में देरी के लिए वैध आधार नहीं माना जायेगा और यदि लिखित कथन निम्नहस्ताक्षरकर्ता को निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है तो यह समझा जायेगा कि उन्हे इस सम्बन्ध कुछ भी प्रस्तुत नहीं करना है।
4. लिखित कथन सीधे निम्नहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करना चाहियें।
5. संलग्न पत्रों सहित इस ज्ञापन की पावती भेज दी जाये।

(जितेन्द्र कुमार, आई०ए०एस०)
निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा, हरियाणा,
पंचकुला।

REGD.

श्री सतीश चौहान, उप–अधीक्षक, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी नूँह अब अधीक्षक

पृष्ठांकन क्रमांक सम **दिनांक, पंचकुला:–** 22·05·2025

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू भेजी जाती है:–

1. **जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, नूँह।**
2. **अधीक्षक, ई०एस०एच०एम० शाखा कार्यालय निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा।**
3. **IT Cell.**

उप–अधीक्षक एच०आर०एम०ई०–।।
कृतेः निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा हरियाणा,
पंचकुला।

आरोप सूची नियम–7 विरूद्ध– श्री सतीश चौहान, उप–अधीक्षक, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी नूँह अब अधीक्षक।

आप द्वारा जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी नूँह (मेवात) के कार्यालय मे दिनांक 03.01.2020 से 27.08.2020 तथा 02.03.2021 से 02.08.2021 तक उप–अधीक्षक कार्यरत रहते हुए जो अनियमितताए की गई, उसके लिए आपको निम्न प्रकार से आरोपित किया जाता है:–

यह कि आपको जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी नूँह के पत्र कमांक ई–1/2021/1024–36 दिनांक 19.05.2021 को मेवात कैडर के टी0जी0टी0, सी0एण्ड0वी तथा मौलिक स्कूल मुख्याध्यापक की वरिष्ठता सूची तैयार करने हेतु गठित कमेटी मे बतौर मैम्बर शामिल किया गया परन्तु दो मास उपरान्त भी आप द्वारा मामले मे कोई भी कार्यवाही नही की गई।

अतः उपरोक्त अनियमितताए आप के गभीर कदाचार को व्यक्त करती है ऐसा करके आपने *हरियाणा सिविल सेवा* (सरकारी कर्मचारी आचरण) नियमावली, 2016 के नियम 4 (1)(ii) की उल्लघना करते हुए आपने अपने आपको हरियाणा सिविल (दण्ड एवं अपील) नियमावली 2016 के नियम–7 के अर्न्तगत कडी अनुशासनिक कार्यवाही का पात्र बनाया है।

(जितेन्द्र कुमार, आई0ए0एस0)
निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा, हरियाणा,
पंचकुला।

अभियोग सूची नियम–7 – श्री सतीश चौहान, उप–अधीक्षक, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी नूँह अब अधीक्षक

श्री सतीश चौहान द्वारा जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी नूँह (मेवात) के कार्यालय मे दिनांक 03.01.2020 से 27.08.2020 तथा 02.03.2021 से 02.08.2021 तक उप–अधीक्षक कार्यरत रहते हुए जो अनियमितताएं की गई उसके लिए उनको निम्न प्रकार से आरोपित किया जाता है:–

1. यह कि **श्री सतीश चौहान** को जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी नूँह (मेवात) के पत्र क्रमांक ई–1/2021/1024–36 दिनांक 19.05.2021 को मेवात कैडर के टी0जी0टी0, सी0एण्ड0वी0 तथा मौलिक स्कूल मुख्याध्यापक की वरिष्ठता सूची तैयार करने हेतु गठित समिति मे बतौर मैम्बर शामिल किया गया था, परन्तु दो मास उपरान्त भी उनके द्वारा मामले मे कोई कार्यवाही नही की गई है।

अतः उपरोक्त अनियमितताए उनके गभीर कदाचार को व्यक्त करती है ऐसा करके उन्होने हरियाणा सिविल सेवा (सरकारी कर्मचारी आचरण) नियमावली, 2016 के नियम 4 (1)(ii) की उल्लघंना करते हुए आपने अपने आपको हरियाणा सिविल (दण्ड एवं अपील) नियमावली 2016 के नियम–7 के अर्न्तगत कडी अनुशासनिक कार्यवाही का पात्र बनाया है।

(जितेन्द्र कुमार, आई0ए0एस0)
निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा, हरियाणा,
पंचकुला।

रिकार्ड/गवाह सूची – नियम–7 – श्री सतीश चौहान, उप–अधीक्षक, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी नूँह अब अधीक्षक।

गवाह सूची

1. संबंधित सहायक, ई0एस0एच0एम0 शाखा।
2. संबंधित सहायक, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी मेवात।

रिकार्ड सूची :–

1. जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी नूँह का पत्र ई0–1/2021/1024–36 दिनांक 19.05.2021 एव पत्र कमांक ई0–1/2021/1760–75 दिनांक 13.05.2021।

(जितेन्द्र कुमार, आई0ए0एस0)
निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा, हरियाणा,
पंचकुला।

आदेश कमांक 5/16-2023 HRME-II (5) दिनांक, पंचकुला :- 09.05.2025

1. इसके द्वारा **श्री सतपाल, तत्कालीन लिपिक, GGMS Tauru जिला मेवात अब GGHS हसनपुर जिला मेवात** को सूचित किया जाता है कि संलग्न विवरण में दिये गये आरोपों के आधार पर हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियमावली, 2016 के नियम-7 के अन्तर्गत उनके विरूद्ध कार्यवाही करना प्रस्तावित किया गया है। ये आरोप उससे अनुबद्ध अभिकथनों के विवरण पर आधारित है।
2. इसके द्वारा **श्री सतपाल, लिपिक** से उनके द्वारा इस ज्ञापन की प्राप्ति की तिथि से **45 दिन** की अवधि के भीतर लिखित रूप में बताने की अपेक्षा की जाती है कि वे सभी आरोपों या उनमें से किसी को स्वीकार करते हैं या नहीं। क्या उन्हे स्पष्टीकरण या प्रतिवेदन, यदि कोई हो, प्रस्तुत करना है और क्या वे व्यक्तिगत रूप में अपनी सुनवाई चाहते हैं।
3. इसके द्वारा **श्री सतपाल, लिपिक** को आगे सूचित किया जाता हैं कि यदि वे अपने लिखित कथन को तैयार करने के प्रयोजन के लिए सुसंगत सरकारी अभिलेखों को देखना चाहते है तो उन्हें निदेशक विद्यालय शिक्षा हरियाणा, पंचकुला के कार्यालय में उनके साथ पहले समय नियत करने के बाद, किसी कार्य दिवस को, उनका निरीक्षण कर सकते है। फिर भी यह बताया जाता है कि उन्हें केवल ऐसे ही दस्तावेज दिखाये जायेंगे, जोकि निदेशक विद्यालय, शिक्षा हरियाणा, पंचकुला के पास हैं और जो मामले के साथ पूरी तरह से सुसंगत हैं। यदि सरकार की राय में उन्हें किन्ही दस्तावेजों को दिखाने की अनुमति देना वांछनीय नहीं है तो उन्हें यह दस्तावेज दिखाने से इन्कार कर दिया जायेगा। यदि **श्री सतपाल, लिपिक** ऐसे किसी अन्य सुसंगत अभिलेख को देखना चाहते है जो निदेशक विद्यालय शिक्षा हरियाणा, पंचकुला की अभिरक्षा में नहीं है तो उनका निरीक्षण करने की जिम्मेवारी उनकी अपनी होगी। फिर भी **श्री सतपाल, लिपिक** को यह बात स्पष्ट की जाती है कि उनके द्वारा उक्त दस्तावेज का निरीक्षण न किया जा सकना उनके लिखित कथन को भेजने में देरी के लिए वैध आधार नहीं माना जायेगा और यदि लिखित कथन निम्नहस्ताक्षरकर्ता को निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है तो यह समझा जायेगा कि उन्हे इस सम्बन्ध कुछ भी प्रस्तुत नहीं करना है।
4. लिखित कथन सीधे निम्नहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करना चाहियें।
5. संलग्न पत्रों सहित इस ज्ञापन की पावती भेज दी जाये।

(अमित कुमार, एच0सी0एस0)
अतिरिक्त निदेशक प्रशासन
का0 सैकेण्डरी शिक्षा विभाग, हरियाणा,
पंचकुला।

REGD.

श्री सतपाल, तत्कालीन लिपिक, GGMS Tauru जिला मेवात अब GGHS हसनपुर जिला मेवात

पृष्ठांकन क्रमांक सम दिनांक, पंचकुलाः- 22.05.2025

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू भेजी जाती है:-

1. जिला शिक्षा अधिकारी, नूँह।
2. GGMS Tauru जिला मेवात।
3. GGHS हसनपुर जिला मेवात।
4. अधीक्षक, ई0एस0एच0एम0 शाखा कार्यालय निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा।
5. IT Cell.

उप-अधीक्षक एच0आर0एम0ई0-II
कृतेः निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा हरियाणा,
पंचकुला।

आरोप सूची नियम–7 विरूद्ध– श्री सतपाल, तत्कालीन लिपिक, GGMS Tauru जिला मेवात अब GGHS हसनपुर जिला मेवात।

आप द्वारा दिनांक 15.08.2020 से अब तक GGMS Tauru जिला मेवात मे बतौर लिपिक कार्यरत रहते हुए जो अनियमितताए की गई, उसके लिए आपको निम्न प्रकार से आरोपित किया जाता है:–

यह कि आपको DEEO Mewat के पत्र कमांक ई–1/2021/1760–75 दिनांक 13.08.2021 के मेवात कैडर के टी0जी0टी0, सी0एण्डवी0 तथा मौलिक स्कूल मुख्याध्यापक की वरिष्ठता सूची तैयार करने हेतु गठित समिति मे शामिल किया गया था। तत्पश्चात् आपको पुनः दिनांक 24.08.2021 को गठित कमेटी मे भी बतौर मैम्बर शामिल किया गया, जिसमे आप द्वारा निदेशालय की पूर्व अनुमति एवं कैडर बदलने की नियमित प्रकिया अपनाए बगैर टी0जी0टी0, सीएण्डवी0 तथा मौलिक स्कूल मुख्याध्यापक को मेवात कैडर की वरिष्ठता सूची मे शामिल किया गया।

अतः उपरोक्त अनियमितताए आप के गभीर कदाचार को व्यक्त करती है ऐसा करके आपने हरियाणा सिविल सेवा (सरकारी कर्मचारी आचरण) नियमावली, 2016 के नियम 4 (1)(ii) की उल्लघना करते हुए आपने अपने आपको हरियाणा सिविल (दण्ड एवं अपील) नियमावली 2016 के नियम–7 के अर्न्तगत कडी अनुशासनिक कार्यवाही का पात्र बनाया है।

(अमित कुमार, एच0सी0एस0)
अतिरिक्त निदेशक प्रशासन
का0 सैकेण्डरी शिक्षा विभाग, हरियाणा,
पंचकुला।

अभियोग सूची नियम–7 – श्री सतपाल, तत्कालीन लिपिक, GGMS Tauru जिला मेवात अब GGHS हसनपुर जिला मेवात ।

श्री सतपाल द्वारा दिनांक 15.08.2020 से अब तक GGMS Tauru जिला मेवात मे बतौर लिपिक कार्यरत रहते हुए जो अनियमितताएं की गई उसके लिए उनके निम्न प्रकार से आरोपित किया जाता है :–

1. यह कि श्री सतपाल को DEEO Mewat के पत्र कमांक ई–1/2021/1760–75 दिनांक 13.08.2021 को मेवात कैडर के टी0जी0टी0, सी0एण्डवी0 तथा मौलिक स्कूल मुख्याध्यापक की वरिष्ठता सूची तैयार करने हेतु गठित कमेटी मे बतौर मैम्बर शामिल किया गया था। तत्पश्चात् पुनः दिनांक 24.08.2021 को गठित कमेटी मे भी बतौर मैम्बर के रूप मे शामिल किया गया, जिसमे उनके द्वारा निदेशालय की पूर्व अनुमति एवं कैडर बदलने की नियमित प्रकिया अपनाए बगैर टी0जी0टी0, सीएण्डवी0 तथा मौलिक स्कूल मुख्याध्यापक को मेवात कैडर की वरिष्ठता सूची मे शामिल किया गया तथा जिसको दिनांक 04.09.2021 को Final रूप दे दिया गया।

अतः उपरोक्त अनियमितताए उनके गभीर कदाचार को व्यक्त करती है ऐसा करके उन्होने हरियाणा सिविल सेवा (सरकारी कर्मचारी आचरण) नियमावली, 2016 के नियम 4 (1)(ii) की उल्लघंना करते हुए आपने अपने आपको हरियाणा सिविल (दण्ड एवं अपील) नियमावली 2016 के नियम–7 के अर्न्तगत कडी अनुशासनिक कार्यवाही का पात्र बनाया है।

(अमित कुमार, एच0सी0एस0)
अतिरिक्त निदेशक प्रशासन
का0 सैकेण्डरी शिक्षा विभाग, हरियाणा,
पंचकुला।

रिकार्ड/गवाह सूची – नियम–7 – श्री सतपाल, तत्कालीन लिपिक, GGMS Tauru जिला मेवात अब GGHS हसनपुर जिला मेवात ।

गवाह सूची

1. संबंधित सहायक, ई0एस0एच0एम0 शाखा।
2. संबंधित सहायक, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी मेवात।

रिकार्ड सूची :–

1. जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी नूँह के पत्र कमांक ई0–1/2021/1760–75 दिनांक 13.08.2021 की प्रति।
2. जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी नूँह के पत्र कमांक ई0–1/2021/2099–3006 दिनांक 14.09.2021 की प्रति।

(अमित कुमार, एच0सी0एस0)
अतिरिक्त निदेशक प्रशासन
का0 सैकेण्डरी शिक्षा विभाग, हरियाणा,
पंचकुला।

आदेश कमांक 5/16-2023 HRME-II (5)

दिनांक, पंचकुला :- 15.05.2025

1. इसके द्वारा **श्री प्रदीप कुमार, उप–अधीक्षक, कार्यालय जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी नूँह** को सूचित किया जाता है कि संलग्न विवरण में दिये गये आरोपों के आधार पर हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियमावली, 2016 के नियम–7 के अन्तर्गत उनके विरूद्ध कार्यवाही करना प्रस्तावित किया गया है। ये आरोप उससे अनुबद्ध अभिकथनों के विवरण पर आधारित है।
2. इसके द्वारा **श्री प्रदीप कुमार, उप–अधीक्षक** से उनके द्वारा इस ज्ञापन की प्राप्ति की तिथि से **45 दिन** की अवधि के भीतर लिखित रूप में बताने की अपेक्षा की जाती है कि वे सभी आरोपों या उनमें से किसी को स्वीकार करते हैं या नहीं। क्या उन्हे स्पष्टीकरण या प्रतिवेदन, यदि कोई हो, प्रस्तुत करना है और क्या वे व्यक्तिगत रूप में अपनी सुनवाई चाहते हैं।
3. इसके द्वारा **श्री प्रदीप कुमार, उप–अधीक्षक** को आगे सूचित किया जाता हैं कि यदि वे अपने लिखित कथन को तैयार करने के प्रयोजन के लिए सुसंगत सरकारी अभिलेखों को देखना चाहते है तो उन्हें निदेशक विद्यालय शिक्षा हरियाणा, पंचकुला के कार्यालय में उनके साथ पहले समय नियत करने के बाद, किसी कार्य दिवस को, उनका निरीक्षण कर सकते है। फिर भी यह बताया जाता है कि उन्हें केवल ऐसे ही दस्तावेज दिखाये जायेंगे, जोकि निदेशक विद्यालय, शिक्षा हरियाणा, पंचकुला के पास हैं और जो मामले के साथ पूरी तरह से सुसंगत हैं। यदि सरकार की राय में उन्हें किन्ही दस्तावेजों को दिखाने की अनुमति देना वांछनीय नहीं है तो उन्हें यह दस्तावेज दिखाने से इन्कार कर दिया जायेगा। यदि **श्री प्रदीप कुमार, उप–अधीक्षकऐसे** किसी अन्य सुसंगत अभिलेख को देखना चाहते है जो निदेशक विद्यालय शिक्षा हरियाणा, पंचकुला की अभिरक्षा में नहीं है तो उनका निरीक्षण करने की जिम्मेवारी उनकी अपनी होगी। फिर भी **श्री प्रदीप कुमार, उप–अधीक्षक** को यह बात स्पष्ट की जाती है कि उनके द्वारा उक्त दस्तावेज का निरीक्षण न किया जा सकना उनके लिखित कथन को भेजने में देरी के लिए वैध आधार नहीं माना जायेगा और यदि लिखित कथन निम्नहस्ताक्षरकर्ता को निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त नहीं होत है तो यह समझा जायेगा कि उन्हे इस सम्बन्ध कुछ भी प्रस्तुत नहीं करना है।
4. लिखित कथन सीधे निम्नहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करना चाहियें।
5. संलग्न पत्रों सहित इस ज्ञापन की पावती भेज दी जाये।

(जितेन्द्र कुमार, आई०ए०एस०)
निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा, हरियाणा,
पंचकुला।

REGD.

श्री प्रदीप कुमार, उप–अधीक्षक, कार्यालय जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी नूँह

पृष्ठांकन क्रमांक सम

दिनांक, पंचकुला:– 22.05.2025

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू भेजी जाती है:–

1. जिला शिक्षा अधिकारी, नूँह।
2. जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी नूँह।
3. अधीक्षक, ई०एस०एच०एम० शाखा कार्यालय निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा।
4. IT Cell.

उप–अधीक्षक एच०आर०एम०ई०–।।
कृते: निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा हरियाणा,
पंचकुला।

आरोप सूची नियम–7 विरूद्ध– श्री प्रदीप कुमार, उप–अधीक्षक, कार्यालय जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी नूँह।

आप द्वारा जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी नूँह (मेवात) के कार्यालय मे दिनांक 21.01.2021 से 07.06.2023 तक उप–अधीक्षक कार्यरत रहते हुए जो अनियमितताए की गई, उसके लिए आपको निम्न प्रकार से आरोपित किया जाता है:–

यह कि आपको दिनांक 24.08.2021 को मेवात कैडर के टी0जी0टी0/मौलिक स्कूल मुख्याध्यापक की वरिष्ठता सूची तैयार करने हेतु गठित कमेटी बतौर मैम्बर शामिल किया गया था जिसमे आप द्वारा निदेशालय की पूर्व अनुमति एवं कैडर बदलने की नियमित प्रकिया अपनाए बगैर टी0जी0टी0, सीएण्डवी0 तथा मौलिक स्कूल मुख्याध्यापक को मेवात कैडर की वरिष्ठता सूची मे शामिल किया गया।

अतः उपरोक्त अनियमितताए आप के गभीर कदाचार को व्यक्त करती है ऐसा करके आपने हरियाणा सिविल सेवा (सरकारी कर्मचारी आचरण) नियमावली, 2016 के नियम 4 (1)(ii) की उल्लघना करते हुए आपने अपने आपको हरियाणा सिविल (दण्ड एवं अपील) नियमावली 2016 के नियम–7 के अर्न्तगत कडी अनुशासनिक कार्यवाही का पात्र बनाया है।

(जितेन्द्र कुमार, आई0ए0एस0)
निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा, हरियाणा,
पंचकुला।

अभियोग सूची नियम–7 – श्री प्रदीप कुमार, उप–अधीक्षक, कार्यालय जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी नूँह।

श्री प्रदीप कुमार द्वारा जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी नूँह (मेवात) के कार्यालय मे दिनांक 21.C1.2021 से 07.06.2023 तक उप–अधीक्षक कार्यरत रहते हुए जो अनियमितताएं की गई उसके लिए उनको निम्न प्रकार से आरोपित किया जाता है :–

1. यह कि श्री प्रदीप कुमार को दिनांक 24.08.2021 को टी0जी0टी0/मौलिक स्कूल मुख्याध्यापक की वरिष्ठता सूची तैयार करने हेतु गठित कमेटी बतौर मैम्बर शामिल किया गया था, जिसमें उनके द्वारा निदेशालय की पूर्व अनुमति एवं कैडर बदलने की नियमित प्रकिया अपनाए बगैर टी0जी0टी0, सी0एड0वी0 तथा मौलिक स्कूल मुख्याध्यापक को मेवात कैडर की वरिष्ठता सूची मे शामिल किया गया।

अतः उपरोक्त अनियमितताएं उनके गभीर कदाचार को व्यक्त करती है ऐसा करके उन्होने हरियाणा सिविल सेवा (सरकारी कर्मचारी आचरण) नियमावली, 2016 के नियम 4 (1)(ii) की उल्लघंना करते हुए आपने अपने आपको हरियाणा सिविल (दण्ड एवं अपील) नियमावली 2016 के नियम–7 के अर्न्तगत कडी अनुशासनिक कार्यवाही का पात्र बनाया है।

(जितेन्द्र कुमार, आई0ए0एस0)
निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा, हरियाणा,
पंचकुला।

रिकार्ड/गवाह सूची – नियम–7 – श्री प्रदीप कुमार, उप–अधीक्षक, कार्यालय जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी नूँह।

गवाह सूची

1. संबंधित सहायक, ई0एस0एच0एम0 शाखा।
2. संबंधित सहायक, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी मेवात।

रिकार्ड सूची :–

1. जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी नूँह के पत्र कमांक ई0–1/2021/2099–3006 दिनांक 14.09.2021 की प्रति।

(जितेन्द्र कुमार, आई0ए0एस0)
निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा, हरियाणा,
पंचकुला।

आदेश क्रमांक 5/16-2023 HRME-II (5)

दिनांक, पंचकुला :- 09.05.2025

1. इसके द्वारा **श्री मोहम्मद इरफान, लिपिक, कार्यालय जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी नूँह** को सूचित किया जाता है कि संलग्न विवरण में दिये गये आरोपों के आधार पर हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियमावली, 2016 के नियम–7 के अन्तर्गत उनके विरूद्ध कार्यवाही करना प्रस्तावित किया गया है। ये आरोप उससे अनुबद्ध अभिकथनों के विवरण पर आधारित है।
2. इसके द्वारा **श्री मोहम्मद इरफान, लिपिक** से उनके द्वारा इस ज्ञापन की प्राप्ति की तिथि से **45 दिन** की अवधि के भीतर लिखित रूप में बताने की अपेक्षा की जाती है कि वे सभी आरोपों या उनमें से किसी को स्वीकार करते हैं या नहीं। क्या उन्हे स्पष्टीकरण या प्रतिवेदन, यदि कोई हो, प्रस्तुत करना है और क्या वे व्यक्तिगत रूप में अपनी सुनवाई चाहते हैं।
3. इसके द्वारा **श्री मोहम्मद इरफान, लिपिक** को आगे सूचित किया जाता हैं कि यदि वे अपने लिखित कथन को तैयार करने के प्रयोजन के लिए सुसंगत सरकारी अभिलेखों को देखना चाहते है तो उन्हें निदेशक विद्यालय शिक्षा हरियाणा, पंचकुला के कार्यालय में उनके साथ पहले समय नियत करने के बाद, किसी कार्य दिवस को, उनका निरीक्षण कर सकते है। फिर भी यह बताया जाता है कि उन्हें केवल ऐसे ही दस्तावेज दिखाये जायेंगे, जोकि निदेशक विद्यालय, शिक्षा हरियाणा, पंचकुला के पास हैं और जो मामले के साथ पूरी तरह से सुसंगत हैं। यदि सरकार की राय में उन्हें किन्ही दस्तावेजों को दिखाने की अनुमति देना वांछनीय नहीं है तो उन्हें यह दस्तावेज दिखाने से इन्कार कर दिया जायेगा। यदि **श्री मोहम्मद इरफान, लिपिक** ऐसे किसी अन्य सुसंगत अभिलेख को देखना चाहते है जो निदेशक विद्यालय शिक्षा हरियाणा, पंचकुला की अभिरक्षा में नहीं है तो उनका निरीक्षण करने की जिम्मेवारी उनकी अपनी होगी। फिर भी **श्री मोहम्मद इरफान, लिपिक** को यह बात स्पष्ट की जाती है कि उनके द्वारा उक्त दस्तावेज का निरीक्षण न किया जा सकना उनके लिखित कथन को भेजने में देरी के लिए वैध आधार नहीं माना जायेगा और यदि लिखित कथन निम्नहस्ताक्षरकर्ता को निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है तो यह समझा जायेगा कि उन्हे इस सम्बन्ध कुछ भी प्रस्तुत नहीं करना है।
4. लिखित कथन सीधे निम्नहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करना चाहियें।
5. संलग्न पत्रों सहित इस ज्ञापन की पावती भेज दी जाये।

(अमित कुमार, एच0सी0एस0)
अतिरिक्त निदेशक प्रशासन
का0 सैकेण्डरी शिक्षा विभाग, हरियाणा,
पंचकुला।

REGD.

श्री मोहम्मद इरफान, लिपिक, कार्यालय जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी नूँह

पृष्ठांकन क्रमांक सम

दिनांक, पंचकुला:– 22.05.2025

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू भेजी जाती है:–

1. जिला शिक्षा अधिकारी, नूँह।
2. जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी नूँह।
3. अधीक्षक, ई0एस0एच0एम0 शाखा कार्यालय निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा।
4. IT Cell.

उप–अधीक्षक एच0आर0एम0ई0–।।
कृतेः निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा हरियाणा,
पंचकुला।

आरोप सूची नियम–7 विरूद्ध– श्री मोहम्मद इरफान, लिपिक, कार्यालय जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी नूँह।

आप द्वारा दिनांक 14.08.2020 से 25.01.2022 अब तक **कार्यालय जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी नूँह** मे बतौर लिपिक कार्यरत रहते हुए जो अनियमितताए की गई, उसके लिए आपको निम्न प्रकार से आरोपित किया जाता है:–

यह कि आपको DEEO Mewat के पत्र क्रमांक ई–1/2021/1024–36 दिनांक 19.05.2021 के मेवात कैडर के टी0जी0टी0, सी0एण्डवी0 तथा मौलिक स्कूल मुख्याध्यापक की वरिष्ठता सूची तैयार करने हेतु गठित कमेटी बतौर मैम्बर शामिल किया गया था, परन्तु दो मास उपरान्त भी आप द्वारा मामले मे कोई भी कार्यवाही नही की गई। तत्पश्चात् पुनः दिनांक 24.08.2021 को गठित कमेटी मे भी आपको बतौर मैम्बर शामिल किया गया, जिसमे आप द्वारा निदेशालय की पूर्व अनुमति एवं कैडर बदलने की नियमित प्रकिया अपनाए बगैर टी0जी0टी0, सीएण्डवी0 तथा मौलिक स्कूल मुख्याध्यापक को मेवात कैडर की वरिष्ठता सूची मे शामिल किया गया।

अतः उपरोक्त अनियमितताएं आप के गभीर कदाचार को व्यक्त करती है ऐसा करके आपने हरियाणा सिविल सेवा (सरकारी कर्मचारी आचरण) नियमावली, 2016 के नियम 4 (1)(ii) की उल्लघना करते हुए आपने अपने आपको हरियाणा सिविल (दण्ड एवं अपील) नियमावली 2016 के नियम–7 के अन्तर्गत कडी अनुशासनिक कार्यवाही का पात्र बनाया है।

(अमित कुमार, एच0सी0एस0)
अतिरिक्त निदेशक प्रशासन
का0 सैकेण्डरी शिक्षा विभाग, हरियाणा,
पंचकुला।

अभियोग सूची नियम–7 – श्री मोहम्मद इरफान, लिपिक, कार्यालय जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी नूँह।

श्री मोहम्मद इरफान द्वारा दिनांक 14.08.2020 से 25.01.2022 मे बतौर लिपिक कार्यरत रहते हुए जो अनियमितताएं की गई उसके लिए उनके निम्न प्रकार से आरोपित किया जाता है :–

1. यह कि श्री मोहम्मद इरफान को कार्यालय जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी नूँह के पत्र कमांक ई–1/2021/1024–36 दिनांक 19.05.2021 को मेवात कैडर के टी0जी0टी0, सी0एण्डवी0 तथा मौलिक स्कूल मुख्याध्यापक की वरिष्ठता सूची तैयार करने हेतु गठित कमेटी मे बतौर मैम्बर शामिल किया गया था। परन्तु दो मास उपरान्त भी उनके द्वारा मामले मे कोई कार्यवाही नही की गई। तत्पश्चात् पुनः दिनांक 24.08.2021 को गठित कमेटी मे भी उनको बतौर मैम्बर शामिल किया गया, जिसमे उनके द्वारा निदेशालय की पूर्व अनुमति एवं कैडर बदलने की नियमित प्रकिया अपनाए बगैर टी0जी0टी0, सीएण्डवी0 तथा मौलिक स्कूल मुख्याध्यापक को मेवात कैडर की वरिष्ठता सूची मे शामिल किया गया।

अतः उपरोक्त अनियमितताएं उनके गंभीर कदाचार को व्यक्त करती है ऐसा करके उन्होने हरियाणा सिविल सेवा (सरकारी कर्मचारी आचरण) नियमावली, 2016 के नियम 4 (1)(ii) की उल्लघंना करते हुए अपने आपको हरियाणा सिविल (दण्ड एवं अपील) नियमावली 2016 के नियम–7 के अर्न्तगत कडी अनुशासनिक कार्यवाही का पात्र बनाया है।

(अमित कुमार, एच0सी0एस0)
अतिरिक्त निदेशक प्रशासन
का0 सैकेण्डरी शिक्षा विभाग, हरियाणा,
पंचकुला।

रिकार्ड / गवाह सूची – नियम–7 – श्री मोहम्मद इरफान, लिपिक, कार्यालय जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी नूँह।

गवाह सूची

1. संबंधित सहायक, ई0एस0एच0एम0 शाखा।
2. संबंधित सहायक, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी मेवात।

रिकार्ड सूची :–

1. जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी नूँह के पत्र ई0–1 / 2021 / 1024–36 दिनांक 19.05.2021 एवं पत्र कमांक ई0–1 / 2021 / 1760–75 दिनांक 13.08.2021 की प्रति।
2. जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी नूँह के पत्र कमांक ई0–1 / 2021 / 2099–3006 दिनांक 14.09.2021 की प्रति।

(अमित कुमार, एच0सी0एस0)
अतिरिक्त निदेशक प्रशासन
का0 सैकेण्डरी शिक्षा विभाग, हरियाणा,
पंचकुला।